Dr. Seema Kumari. Asst. Prof (Pol. Sc.) RMC, VKSU

BA-2, paper-3 Indian Government and Politics

Date - 01.02.2022

केंद्रीय सरकार वैधानिक, न्यायिक, संवैधानिक

कार्यपालिका (संघ)

↓

निर्माण

राष्ट्रपति ← → महान्यायवादी

↓ उपराष्ट्रपति ↘ प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद

भारतीय संविधान केंद्र व राज्य दोनों में संसदीय सरकार की व्यवस्था करता है। Article 74, 75 केंद्र में संसदीय व्यवस्था, Article 163, 164 राज्य में संसदीय व्यवस्था का प्रावधान है।

संविधान के भाग-5 अनुच्छेद 52-78 तक संघ (केंद्र) की कार्यपालिका का वर्णन है। भारतीय संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं महान्यायवादी से मिलकर होता है।

भारत का राष्ट्रपति - यह भारत का प्रथम नागरिक होता है। संघ कार्यपालिका की सर्वोच्च शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है। Art. 53.

Art. 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है।

राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि अनु (55) - राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से होना चाहिए संघ एव राज्यों में समानता होनी चाहिए

Scanned with CamScanner

संसद तथा राज्य विधानसभाओं के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या निम्न प्रकार से निर्धारित की जाती है -

- विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को, राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर प्राप्त होती है।

एक विधायक के मत का मूल्य =

$$\frac{\text{राज्य की कुल जनसंख्या}}{\text{राज्य की विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य}} \times \frac{1}{1000}$$

एक सांसद के मत का मूल्य =

$$\frac{\text{सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य}}{\text{संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या}}$$

→ राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। गुप्त मतदान द्वारा। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है जिसे 'कोटा' कहते हैं।

$$\text{कोटा} = \frac{\text{कुल वैध मत}}{(\text{कुल पद}) + 1} + 1$$

→ राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद Supreme Court द्वारा निपटाया जाता है, इसका निर्णय अंतिम होता है। मतदाता उम्मीदवारों के नाम के आगे अपना वरीयता क्रम 1, 2, 3, 4 आदि अंकित करता है। यह वरीयता क्रम निर्धारित मत प्राप्त करने तक चलती रहती है।

→